राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2182/2021

शशि भूषण गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.07.2021
आदेश की दिनांक : 13.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिमन्यू सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी सहायक आयुक्त के पद पर कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर हुई। जहां अपीलार्थी ने दिनांक 01.01.1998 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.06.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 19 पर अंकित किया गया तथा विनोद मेहता का नाम क्रम संख्या 18 एवं बलवन्त सिंह का नाम क्रम संख्या 20 पर अंकित किया गया। अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर वर्ष 2020–21 की उपायुक्त पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 08.10.2020 (अनुलग्नक–2) को जारी किया गया था। इस क्रम में 14 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी के नाम सहित 11 कर्मचारियों का नाम सेवा अभिलेख (एपीएआर) पूरा न करने के कारण आस्थगित किया गया और उनके लिए पद रिक्त रखे गए थे, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 7 पर अंकित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को बकाया एपीएआर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके, जिसका अपीलार्थी ने दिनांक 26.10.2020 (अनुलग्नक–4) द्वारा जवाब दिया कि वर्ष 2018–19 की एसीआर पहले ही अपने संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दी थी। अपीलार्थी को दिनांक 27.10.2020 को दिनांक 28.06.2019 (अनुलग्नक–5) का एक अन्य पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 (13.10.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि) और वर्ष 2015–16 की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में पहली बार सूचित किया गया। पत्र में आगे

कहा गया है कि यदि अपीलार्थी एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के खिलाफ अभ्यावेदन/शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो वह 30 दिन के भीतर इसे दर्ज कर सकता है। अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2020 (अनुलग्नक–6) द्वारा पंजीकृत स्पीड पोस्ट एवं मेल के माध्यम से वर्ष 2014–15 (13.10.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि) व 2015–16 के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा अपीलार्थी को छोड़कर शेष कर्मचारी जिनका नाम आस्थगित सूची में रखा गया था, को पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी का नाम संसंगत पूर्ण रिकार्ड (वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन) पर उपलब्ध न होने के कारण आस्थगित कर दिया गया। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा वार्षिक कार्य मुल्याकंन प्रतिवेदनों में दर्ज प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन को दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर किया। प्रत्यर्थी विभाग ने आरटीाअई का जवाब दिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि पत्र दिनांक 28.06.2019 को अपीलार्थी को दिनांक 27.10.2020 को सूचित किया गया था और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था (अनुलग्नक–9 एवं 10)। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 23.09.2010 (अनुलग्नक–11) द्वारा परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें एसीआर को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई, जिसकी भी विभाग द्वारा पालना नहीं की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 26.05.2021 (अनुलग्नक–12) के द्वारा उपायुक्त की अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की गई परन्तु आक्षेपित कार्यवाही के कारण अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 05.06.2020 (अनुलग्नक–1) के अनुसार पदोन्नति दी जावे। दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी की वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) एवं 2015–16 की एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टियां सभी उद्देश्य के लिए समाप्त किए जाने का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2020 (अनुलग्नक–2) व 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) नियमानुसार जारी किये गये है। वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2020 के कार्यवाही विवरण वर्ष 2020–21 के बिन्दु संख्या 12 (क) क्र.सं. 3 के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति में अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति हेतु निर्णय आस्थगित रखे जाने की निम्नानुसार अनुशंसा कीः–

"(वर्ष 2014–15 के द्वितीय भाग व वर्ष 2015–16 की पूर्ण ए.पी.ए.आर में असंतोषजनक प्रविष्टि है, अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु

संख्या 13.14 के अनुसार– जिन प्रकरणों में डीपीसी की बैठक होते समय तक प्रतिकूल प्रविष्टियों के संदर्भ में राजसेवक को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान ही नही किया गया हो अथवा राजसेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होकर उस पर समुचित निर्णय नहीं लिया गया हो, ऐसे प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति के ध्यान में लाए जायेगें ताकि इस प्रकार के राजसेवकों के संदर्भ में पदोन्नति की सिफारिश करने अथवा उनके लिए पद आरक्षित रखते हुये पदोन्नति की कार्यवाही स्थगित (Defer) कर दी जो का निर्णय लिया जा सकें।") चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को उक्त प्रतिकूल प्रविष्टियों के संदर्भ में जारी पत्र दिनांक 28.06.2019 जारी किया गया है, जिसके संबंध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।"

अपीलार्थी को उनकी वर्ष 2014–15 व 2015–16 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में वित्त (कर) विभाग के पत्र दिनांक 28.06.2019 की प्रति तामिल कराने हेतु 27.10.2020 को (पत्र दिनांक 28.06.2019 आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ था किन्तु तत्समय वहां पदस्थापित कार्मिक का अन्यत्र पदस्थापन होने से उक्त पत्र अपीलार्थी को तामिल नहीं कराया जा सका) प्रेषित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2020 को श्रीमान् शासन सचिव, वित्त (राजस्व) राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.03.2021 को उपायुक्त के पद (आस्थगित प्रकरण) हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष आयोजित हुई। उक्त बैठक के आयोजन दिनांक 24.03.2021 तक अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति ने उसके संबंध में प्रकरण यथावत आस्थगित रखा गया। संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग ने पत्र दिनांक 31.03.2021 (दिनांक 24.03.2021 को आयोजित डीपीस के पश्चात्) के द्वारा अपीलार्थी को उनके अभ्यावेदन दिनांक 25.11.2020 के क्रम में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने सक्षम स्तर पर विचारोपरान्त उक्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किए जाने योग्य है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपीलार्थी की सहायक आयुक्त से उपायुक्त के पद पर पदोन्नति नहीं की जाकर उनके प्रकरण को आस्थगित (डेफर) किया गया है जो कि सेवाभिलेख उपलब्ध नहीं होने के आधार पर किया गया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को पूर्व में सूचित किया जा चुका है कि उसके द्वारा सभी वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन भरकर संबंधित अधिकारी

को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। साथ ही निवेदन किया की अपीलार्थी के वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) और वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में अंकित प्रतिकूल प्रविष्ठियों को अपीलार्थी को बिना सुने ही प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज करते हुए प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखे जाने का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिंद्वातों के प्रतिकूल है और अपीलार्थी का अभ्यावेदन बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए खारिज किया गया है। साथ ही निवेदन किया की जो प्रतिकूल प्रतिवेदन अपीलार्थी को सूचित नहीं किये गये हैं। अतः इस आधार पर पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रविष्टियों का कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 32/2013 रूकसाना शाहीन खान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित न्याय निर्णय दिनांक 28.08.2018 प्रस्तुत किया गया और निवेदन किया है कि अपीलार्थी की विभागीय पदोन्नति की बैठक होने और उनके कनिष्ठों को पदोन्नति दिये जाने तक अपीलार्थी को प्रतिकूल प्रविष्ठियों के बारे में सूचित नहीं किया गया है। लिहाजा प्रतिकूल प्रविष्टियों को अपीलार्थी की पदोन्नति में बाधक नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 32/2013 रूकसाना शाहीन खान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित न्याय निर्णय दिनांक 28.08.2018 में निम्नानुसार हैः– **"KURIAN JOSEPH, J.-The sole issue involved in this appeal is whether the uncommunicated Annual Confidential Reports (ACRS), which are adverse to the appellant, should have been relied upon for the purpose of consideration of the appellant for promotion.**

2. In view of the decision of this Court in Sukhdev Singh v. Union of India'. there cannot be any dispute on this aspect. This Court has settled the law that uncommunicated and adverse ACRs cannot be relied upon in the process. "

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1209/2021 आर. के. जिबानलता देवी बनाम मणिपुर उच्च न्यायालय में पारित न्याय निर्णय दिनांक 24.02.2023 में अभिनिर्णित किया गया है किः– **"20. In the present case the petitioner got "Good" gradings for the year 2016-17 and received "Very Good" gradings in her ACRS for the years 2017-18 and 2018-2019. It was the specific case on behalf of the petitioner which has not been denied that the ACRS grading of "Good" for the year 2016-17 was never communicated to the petitioner even till the DPC met. Therefore, as per the law laid down by this Court in catena of decisions more particularly, as observed and held by**

this Court in Rukhsana Shaheen Khan (supra); Sukhdev Singh (supra) and Dev Dutt v. Union of India, (2008) 8 SCC 725 uncommunicated adverse ACRS may be even with "Good" entry which can be said to be adverse in the context of eligibility for promotion is not to be relied upon for consideration of promotion.

21. Therefore, uncommunicated ACR for the year 2016-17 having the grading "Good" could not have been relied upon for consideration for promotion. "

इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुखदेव सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2013 में अभिनिर्णित किया गया है कि:– **"In our opinion, the view taken in Dev Dutt that every entry in ACR of a public servant must be communicated to him/her within a reasonable period is legally sound and helps in achieving threefold objectives. First, the communication of every entry in the ACR to a public servant helps him/her to work harder and achieve more that helps him in improving his work and give better results. Second and equally important, on being made aware of the entry in the ACR, the public servant may feel dissatisfied with the same. Communication of the entry enables him/her to make representation for upgradation of the remarks entered in the ACR. Third, communication of every entry in the ACR brings transparency in recording the remarks relating to a public servant and the system becomes more conforming to the principles of natural justice. We, accordingly, hold that every entry in ACR - poor, fair. average, good or very good-must be communicated to him/her within a reasonable period. "** अपीलार्थी ने अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील के प्रतिउत्तर में तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार होने के कारण एवं अपीलार्थी का पदोन्नति प्रकरण सुसंगत सेवाभिलेख के अभाव में डेफर होने से अपील खारिज योग्य है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने दिनांक 05.06.2020 को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2020 की स्थिति को जारी सहायक आयुक्त राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूचि के अनुसार उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान करने और उसके वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) और वर्ष 2015–16 की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखे जाने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2021 को अपास्त कर उसके वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन

की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को हटाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों के लिए 01.04.2020 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूचि के आधार पर वर्ष 2020–21 की विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 08.10.2020 (अनुलग्नक–2) में अपीलार्थी का प्रकरण अन्य 10 प्रकरणों के साथ सेवाभिलेख (वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन) पूर्ण नहीं होने के कारण प्रकरण आस्थगित किया गया है और इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को रिकॉर्ड पूर्ण करने हेतु पत्र दिनांक 21.10.2020 (अनुलग्नक–3) जारी किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में अपीलार्थी द्वारा पत्र दिनांक 26.10.2020 (अनुलग्नक–4) प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी विभाग को अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा संबंधित अवधि के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित अधिकारियों को समय पर प्रस्तुत किया जा चुका है। पदोन्नति आदेश में अपीलार्थी का पदोन्नति प्रकरण उसके वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) एवं वर्ष 2015–16 में प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर डेफर करने का अंकन नहीं है। अपीलार्थी को जारी पत्र दिनांक 21.10.2020 (अनुलग्नक–3) में भी इसका अंकन नहीं है। इसके पश्चात पुनः विभागीय पदोन्नति समिति की डेफर प्रकरण हेतु आयोजित बैठक दिनांक 24.03.2021 की अभिशंषाओं के आधार पर आस्थगित प्रकरणों में उपायुक्त के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा जारी किये गये। जिसमें पूर्व में आस्थगित किये गये 11 प्रकरणों में से अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकरणों में सेवाभिलेख पूर्ण होने पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी को इस आदेश में उपायुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है। उक्त आदेश में भी यही अंकित है कि सुसंगत पूर्ण रिकॉर्ड (वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन) उपलब्ध नहीं होने के कारण डेफर किया जाता है। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन में वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) एवं वर्ष 2015–16 की प्रतिकूल प्रविष्टियों से सूचित करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2019 (अनुलग्नक–5) जारी किया गया, जो अपीलार्थी को दिनांक 27.10.2020 को प्राप्त हुआ, जिसका प्रत्युत्तर भी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2020 (अनुलग्नक–6) द्वारा दिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अत्यन्त विलम्ब से अपीलार्थी को सूचित किया एवं इस बीच दिनांक 29.09.2020 को डीपीसी की बैठक होकर पदोन्नति आदेश दिनांक 08.10.2020 को जारी हो गए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा डेफर प्रकरणों हेतु आयोजित डीपीसी की बैठक दिनांक 24.03.2021 से पूर्व अपीलार्थी द्वारा जवाब पेश करने के उपरान्त भी इसे निर्णित नहीं किया एवं अपीलार्थी का प्रकरण फिर से डेफर कर दिया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में चाहे गये प्रथम अनुतोष में उपायुक्त के रिक्त पद वर्ष 2020–21 पर पदोन्नति

किये जाने का जहां तक प्रश्न है जब अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को संबंधित अवधि के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन अधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने के संबंध में अवगत कराया जा चुका है। प्रत्यर्थी विभाग का भी यह दायित्व है कि अपीलार्थी के बकाया वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन की संबंधित अधिकारी से पूर्ति कराई जाकर अपीलार्थी के प्रकरण को भी डेफर प्रकरणों हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में रखा जाकर समुचित निर्णय लिया जाता। जहां तक अपीलार्थी के दूसरे अनुतोष जिसमें प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) जिसके द्वारा अपीलार्थी की वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) और वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखे जाने के संबंध में जारी किया गया है। उसको अपास्त करने और उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्ठियों को सभी प्रयोजनों के लिए हटाये जाने से संबंधित है। इस क्रम में उपलब्ध रिकॉर्ड से यह पूर्णत स्पष्ट है कि अपीलार्थी के वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) और वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिकूल टिप्पणी अंकित है। जिसकी समय पर सूचना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई है। प्रथम बार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2019 (अनुलग्नक–5) द्वारा इस संबंध में अपीलार्थी को सूचित करने हेतु पत्र जारी किया गया है। जो भी अपीलार्थी को एक साल से भी ज्यादा अवधि के पश्चात 27.10.2020 को प्राप्त होना विदित है, जो नियमित डीपीसी होने के पश्चात प्राप्त हुआ है। इस पत्र के प्रतिउत्तर में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.11.2020 को जरिये स्पीड पोस्ट अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 (द्वितीय भाग) और वर्ष 2015–16 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन को हटाये जाने का निवेदन किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) द्वारा प्रतिकूल प्रविष्ठियों को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.06.2019 जो प्रत्यर्थी को एक साल से भी ज्यादा अवधि के बाद 27.10.2020 को प्राप्त हुआ है, के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग से विलम्ब के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा गया है (अनुलग्नक–9)। जिसका जवाब अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि तत्समय बाद पदस्थापित कार्मिक को अन्यत्र पदस्थापन होने से संबंधित पत्र श्री गुप्ता को तामिल नहीं कराया जा सका। यहां यह महत्वपूर्ण है कि वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठियों के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति को रोके जाने अथवा आस्थगित किया जाने संबंधी तथ्य जारी पदोन्नति आदेश अनुलग्नक–2 एवं अनुलग्नक–7 में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिकूल

प्रविष्टियों के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं रोकी गई है, वरन सेवाभिलेख अधूरा होने के कारण उसके प्रकरण को पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर आस्थगित किया गया है एवं पद रिक्त है। अर्थात् अपीलार्थी के पदोन्नति प्रकरण में अभी निर्णय होना शेष है एवं उससे पूर्व उसे प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में सूचित किया जा चुका है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संदर्भ में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुलग्नक–8 द्वारा इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को यथावत रखकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 (अनुलग्नक–8) में क्या विधि विरूद्ध तथ्य है एवं किस आधार पर अपास्त योग्य है, यह अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः हम इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के बकाया वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन को जो कि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है, के संबंधित अधिकारी से पूर्ति कराई जावे एवं उपायुक्त के पद पर अपीलार्थी के पदोन्नति का डेफर्ड प्रकरण नियमानुसार तीन माह में निस्तारित किया जावे। अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक 13.06.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य